

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-32/2014-1109..... /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- 21/2/18

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के आदेश ज्ञापांक-107 दिनांक-23.01.18 के आलोक में श्री मनोज पासवान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलिया को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बलिया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. उप विकास आयुक्त, पटना के आदेश ज्ञापांक-218 दिनांक-05.02.18 के आलोक में श्री सुशील कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नौबतपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के आदेश ज्ञापांक-109 दिनांक-24.01.18 के आलोक में श्री विक्रम भास्कर झा, अंचलाधिकारी, बखरी को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


ह०/-
(शिव प्रसाद राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (राज०)-32/2014-1109..... /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 21/2/18

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/श्री मनोज पासवान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलिया/श्री सुशील कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर/श्री विक्रम भास्कर झा, अंचलाधिकारी, बखरी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बलिया/नौबतपुर/बखरी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21.2.18
सरकार के अवर सचिव।